

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/पूर्वोत्तर क्षेत्र
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

प्रधानाचार्य,
नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज
बमरौली, इलाहाबाद

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता /चेन्नई हवाई अड्डा

विषय: सीएसआर परियोजनाओं का नीति कार्यान्वयन – सीएसआर से संबन्धित बिन्दु ।

महोदय,

दिनांक 12 जुलाई, 2017 के पत्र संख्या एएआई/ सीएसआर प्लान 2017-18, जिसमें जिसमें नई सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर प्रस्तावों की भाविप्रा की नई सीएसआर और स्थायित्व नीति 2017-18 को अपनाना और उसके अनुसार चयन, कार्यान्वयन / निष्पादन इत्यादि के बारे में सूचित किया गया था, से आगे ।

एक बार पुनः सीएसआर दिशानिर्देशों के बेहतर पालन के लिए नीति को आगे बढ़ाने के लिए दोहराया जाता है। हालांकि, अनुपालन के लिए नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है:

1. सभी प्रस्तावों के कार्यान्वयन / निष्पादन / भुगतान की कार्रवाई संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों या संबंधित एपीडी द्वारा की जाएगी। (नीति का पैरा 5 देखें)
2. सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुसार होंगे। (नीति का पैरा 2 देखें)
3. बेसलाइन सर्वेक्षण / आवश्यकता मूल्यांकन / आधारभूत आवश्यकता मूल्यांकन किसी भी सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधि के चयन से पहले वांछनीय है। (नीति का पैरा 4.4.2 देखें)
4. पूर्ण होने के बाद उचित समय सीमा के भीतर किए गए सीएसआर मेगा परियोजनाओं के लिए भाविप्रा द्वारा निर्धारित किए गए बाहरी एजेंसी / तृतीय पक्ष द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को अनिवार्य करना आवश्यक है। मेगा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां परियोजना का कुल संचयी मूल्य (चाहे एक या अधिक वित्तीय वर्षों में विस्तार हो या नहीं) 2 करोड़ रुपये से अधिक है। (नीति का पैरा 4.2.3 देखें)

अंत में, लेकिन महत्वपूर्ण बात, सीएसआर प्रस्तावों का व्यय उचित सीएसआर कोड और सैप में आवंटित डब्ल्यूबीएस में बुक किया जाना चाहिए जिसमें परियोजना का नाम स्पष्ट दिखाई दे।

भवदीय,

(संजीव जिंदल)
म प्र (इंजी-द क्षे)/ सीएसआर